

सम्पादकीय

अपने ही घर में नहीं जानते हिन्दी की वर्णमाला

डा.पुष्पेन्द्र दुबे

आज हिन्दी भाषा की ताकत दुनिया में पहचानी जाने लगी है। इसकी वैज्ञानिकता को आधुनिक संचार माध्यमों की कसौटी पर कसा जा रहा है और उस पर वह खरी उतर रही है। भारत में राजकीय और प्रशासनिक स्तर पर भले ही हिन्दी को अनेक प्रकार के लांछन और उपेक्षा सहनी पड़ी हो, परंतु बाजार की भाषा हिन्दी ही है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपना आंतरिक कामकाज अंग्रेजी में ही संपादित करती हैं, लेकिन जब उन्हें अपने उत्पादों को ग्राहकों तक पहुंचाना होता है तब वे ग्राहकों की भाषा में ही बात कर रही हैं। यद्यपि उत्पादों से संबंधित जानकारी की पुस्तिका वे अभी भी अंग्रेजी में ही उपलब्ध करा रही हैं। देर-सबेर वे अपनी गलती समझकर उसे दुरुस्त कर लेंगी।

हिन्दीभाषी और उसके पैरोकार इस बात पर गर्व कर सकते हैं आज हिन्दी भाषा भारत की सीमाओं को लांघकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृति प्राप्त कर रही है, परंतु हिन्दी की अपने घर में क्या हालत है, उस पर जब विचार करते हैं, तो सिर शर्म से झुक जाता है। अपनी जड़ों से कटकर कोई भी देश सही दिशा में प्रगति नहीं कर सकता। विद्यालयीन स्तर पर एक विद्यार्थी कम से कम बारह साल हिन्दी भाषा पढ़ता-लिखता है। किसी भी भाषा को सीखने की शुरुआत उस भाषा की वर्णमाला से होती है। हिन्दी भी सीखने की इस पद्धति से अलग नहीं है। सालोंसाल हिन्दी भाषा में व्यवहार करने के बाद भी हिन्दी वर्णमाला की जानकारी मांगने पर विद्यार्थी बगलें झांकने लगता है। महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर जब विद्यार्थियों से हिन्दी वर्णमाला लिखने को कहा गया, तो विश्व स्तर

पर स्वीकृत होने वाली हिन्दी भाषा मुंह के बल गिरती नजर आती है।

एक महाविद्यालय में स्नातक स्तर के 158 विद्यार्थियों को हिन्दी की वर्णमाला लिखने का कहा गया। इसमें से केवल 53 विद्यार्थी ऐसे थे जो सही वर्णमाला लिखना जानते थे अर्थात केवल 33 प्रतिशत विद्यार्थियों ने ही सही वर्णमाला लिखी। दूसरी तरफ 21 विद्यार्थियों को वर्णमाला की कोई जानकारी नहीं थी। इनका प्रतिशत 13.29 रहा। गलत वर्णमाला लिखने वाले विद्यार्थियों की संख्या 49 थी, अर्थात 31 प्रतिशत विद्यार्थियों ने गलत वर्णमाला लिखी। इन विद्यार्थियों में से 35 ने थोड़ी सही हिन्दी की वर्णमाला लिखी अर्थात इनका प्रतिशत 22 रहा। विशेष बात यह थी कि ये सभी विद्यार्थी हिन्दी भाषी थे। इन सभी ने विद्यालयीन स्तर पर हिन्दी भाषा में शिक्षा प्राप्त की थी।

हिन्दी पढ़ने वालों की क्या कहें, पढ़ाने वालों की स्थिति भी अत्यंत दयनीय है। इसका पता इस बात से चलता है कि जब एक गांव में कलेक्टर ने शासकीय विद्यालय में जांच के दौरान वहां के शिक्षकों को वर्णमाला लिखने के निर्देश दिए तो वे शिक्षक हिन्दी की वर्णमाला ठीक से नहीं लिख पाए। फलतः कलेक्टर ने तीन शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। विद्यार्थियों के भाषा ज्ञान को लेकर मध्यप्रदेश शासन भी चिंतित है। उसका भी मानना है कि आठवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को हिन्दी की बारहखड़ी का ज्ञान नहीं है। इसलिए शासन ने शासकीय विद्यालयों में बारहखड़ी फिर से सिखाने के आदेश जारी किए हैं। इस बात को हमेशा से गहराई से महसूस किया जाता रहा है



कि विद्यालयीन स्तर पर कोई भाषा नीति नहीं है। त्रिभाषा फार्मूले के तहत हिन्दी भाषी राज्यों ने संस्कृत, अंग्रेजी और हिन्दी के शिक्षण को अपनाया है। शासकीय विद्यालयों में हिन्दी भाषा पर अधिक जोर है तो निजी विद्यालयों और केंद्रीय पाठ्यक्रम संचालित करने वाले विद्यालयों में अंग्रेजी को ही अधिक मान्यता है। उसमें भी केंद्रीय पाठ्यक्रम संचालित करने वाले विद्यालयों में कक्षा दसवीं के बाद हिन्दी भाषा ऐच्छिक है। विद्यार्थी हिन्दी की जगह फिलिकिल एजुकेशन अथवा इन्फार्मेशन प्रेक्टिसेस का चयन करता है। परिणामस्वरूप विद्यार्थी दो साल तक हिन्दी से दूर हो जाता है। इस विसंगति को तत्काल दूर करने की आवश्यकता है। आज बाजार ने हिन्दी भाषा को पूरी तरह अपनाया है, परंतु शिक्षा के क्षेत्र में आज भी हिन्दी संघर्ष करती नजर आ रही है।

प्राथमिक कक्षा से लेकर स्नातकोत्तर स्तर के अध्ययन तक अंग्रेजी के वर्चस्व को देखा जा सकता है। अंग्रेजी के समर्थक अंतर्राष्ट्रीयता की दुहाई देकर अपने आप का बचाव करते हैं। जब उन्हें दुनिया के अन्य देशों के अपनी भाषा में किए गए विकास का उदाहरण देते हैं तब वे भी बगलें झांकने पर मजबूर हो प्रश्न को टाल देते हैं। 'लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया' की रिपोर्ट के अनुसार हिन्दी दुनिया की दूसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा का खिताब हासिल करने की ओर बढ़ रही है। ऐसे में हमें अपने विद्यालय और महाविद्यालयों में हिन्दी भाषा के विकास पर जोरदार तरीके से पहल करने की आवश्यकता है। हिन्दी के विकास की जिम्मेदारी केवल हिन्दी के अध्यापकों की ही नहीं, बल्कि उसमें सभी विषयों के शिक्षकों की समान भागदारी को सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। शब्द-ब्रह्म के सुधी पाठकों को हिन्दी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।